

पत्र संख्या-14/डी0एल0ए0-(एन0पी0जी0सी0)- औरंगाबाद -190/2013...../रा0, पटना, दिनांक-

## बिहार सरकार

जलनियंत्रण एवं भास संधार विभाग

भू-अर्जन निदेशाधिकारी

बिहार पटना

### अधिसूचना

सं० 14/डी०एल०ए० (एन०पी०जी०सी०) - औरंगाबाद -190/2013- 3026/रा० दि०-30-12-13

चूंकि बिहार राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि गाँव - परसा थाना नं० - 22, परगना- कुटुम्बा, थाना-नबीनगर, जिला- औरंगाबाद में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ अर्थात् नबीनगर सुपर थर्मल पावर परियोजना के लिये सरकारी खर्च पर सरकार द्वारा जमीन ली जानी अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उपर्युक्त प्रयोजनार्थ पूर्वोक्त गाँव- परसा के भीतर भूमि का एक टुकड़ा अपेक्षित है, जो मानक माप के कम वेश, जो 4.942 एकड़ के बराबर होता है और जिसकी अधिकृत खेसरा सं० एवं चौहद्दी निम्न प्रकार है :-

अधिकृत खेसरा सं० -

पूर्ण - 88 एवं 123

अंश - 86, 89, 90, 91, 92, 122-124, 126 एवं 127

उत्तर :- मौजे सिमरा दुसाध थाना नं०- 23

पूरब :- प्लॉट 128, 129, 130 (रेलवे लाईन)

दक्षिण :- बेलौरी थाना नं०- 33

पश्चिम :- प्लॉट 89, 90, 122 एवं 125

यह अधिसूचना अधिनियम 1894 कि धारा 4 के उपबंधों के अधीन (यथा भू-अर्जन अधिनियम 1984 द्वारा संशोधित) उन सभी ब्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जिसका इससे संबंध हो।

भूमि का नक्शा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद के कार्यालय में देखा जा सकता है। समाहर्ता, औरंगाबाद भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद और उनके कर्मचारियों तथा इस परियोजना के संबंध आरम्भिक अनुसंधान में तत्समय लगे नवीनगर जेनरेटिंग पावर कारपोरेशन लि० पटना के पदाधिकारी और कर्मचारियों को भूमि पर जाने और उनका सर्वेक्षण करने तथा उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित या विनिर्दिष्ट अपने कार्य के समुचित निष्पादन के लिये अपेक्षित अन्य सभी कार्य करने के लिये प्राधिकृत करते हैं।

उक्त अधिनियम को धारा 17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार ने परियोजना की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 5A (2) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश पर

समाहर्ता  
औरंगाबाद।

सरकार के अवर सचिव

- 3026

ज्ञाप संख्या-14/डी0एल0ए0-(एन0पी0जी0सी0)- औरंगाबाद -190/2013-~~1~~/रा0, पटना, दिनांक-~~30~~ 12/13

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को तीन प्रतियों के साथ (सी0डी0 सहित) दो दैनिक समाचार पत्रों, जिसमें एक स्थानीय भाषा में हो, में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशित संस्करण की प्रति जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
2. प्रभारी उप समाहर्ता, जिला गजट, समाहरणालय, औरंगाबाद को जिला गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ एवं प्रकाशनोपरांत इसकी 10 प्रतियां जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।
3. आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. समाहर्ता/अपर समाहर्ता तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव